रेल दावा अधिकरण

पटना पीठ, पटना

वाद संख्या OA(IIu)/PNBE/354/2019

पीठासीन: श्री राम बाबू शर्मा, माननीय सदस्य (न्यायिक), रेल दावा अधिकरण, पटना

श्री शिव कुमार प्रसाद, माननीय सदस्य (तकनीकी), रेल दावा अधिकरण, पटना

पंजीकरण की तिथि: 26.09.2019

निर्णय की तिथि: 19.01.2026

1. निर्मल कुमार सिंह, S/o पृथ्वी नारायण सिंह
2. सीमा देवी W/o निर्मल कुमार सिंह,

सभी निवासी– जलपुरा तापा,
पोस्ट– जलपुरा तापा, थाना–चाँदी,
जिला–भोजपुर, बिहार, पिन– 802161 .... वादी

बनाम

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर। .... प्रतिवादी

उपस्थिति:
वादी के विद्वान अधिवक्ता– श्रीमती कुमारी रिन्की सिन्हा– अनुपस्थित
प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता–श्री कुमार सचिन –उपस्थित

दावा राशि ₹ 8,00,000/– मय ब्याज

<u>निर्णय</u>

श्री शिव कुमार प्रसाद, माननीय सदस्य (तकनीकी):

1. याचीगण निर्मल कुमार सिंह एवं सीमा देवी ने यह याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–16 के अन्तर्गत पिंकी कुमारी की रेल की घटना में मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उनपर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ (द्वारा

महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर) के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/- एवं उसपर ब्याज दिये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत की है।

2. याचीगण के अभिकथन के अनुसार दिनांक 07.09.2018 को मृतका पिंकी कुमारी बिहटा से नई दिल्ली का द्वितीय श्रेणी साधारण टिकट लेकर अपने पिता के साथ ट्रेन नं0 12391 श्रमजीवी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। उक्त ट्रेन में अत्यधिक भीड़ थी जिसके कारण वह ट्रेन के डिब्बे के अन्दर दरवाजा के पास खड़ी थी। यात्रियों की धक्का–मुक्की के कारण कुलहड़िया रेलवे स्टेशन के पास वह ट्रेन से नीचे गिर गई। इस दुर्घटना में आयी चोटों के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में मृतका का यात्रा टिकट खो गया। इस संबंध में मृतका के पिता निर्मल कुमार सिंह के आवेदन के आधार पर रेल थाना, आरा में यु0डी0 केस सं0 97/18 दिनांक 07.09.2018 दर्ज किया गया।

3. उत्तरदाता द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत किया गया और याचिका का विरोध करते हुए यह कथन किया गया कि मेमो के अनुसार मृतका सदभावी यात्री नहीं थी। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार वह कुलहड़िया रेलवे स्टेशन के पास रेलवे क्रासिंग पर पोल सं0 582/29 अप लाईन पर कटकर जख्मी हो गई एवं उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु स्वयं की लापरवाही अनधिकृत रूप से रेलवे लाईन पार करने एवं आपराधिक कृत्य के कारण हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हेमरेज, शॉक एवं गंभीर चोट दर्शाया गया है। फाइनल रिपोर्ट के निष्कर्ष में रन ओवर होना अंकित है। रेल अधिनियम, 1989 के अनुसार दावा आवेदन पोषणीय नहीं है। प्रस्तुत मामले में याचीगण प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

वाद बिन्दु

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए दिनांक 15.12.20 को निम्नलिखित वाद बिन्दु बनाये गये हैं:–

(1) क्या मृतका ट्रेन सं0 12391 का एक सदभावी यात्री थी?

(2) क्या मृतका की मृत्यु रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123(c) (2) की परिधि के अन्तर्गत अनपेक्षित घटना में हुई थी?

(3) क्या आवेदक/आश्रितगण मृतका के आश्रित हैं?

(4) क्या आवेदक/आश्रितगण प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं और यदि हाँ तो कितना?

5. याचीगण की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में निर्मल कुमार सिंह का सशपथ मौखिक साक्ष्य ए0डब्लू0–01 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में याचीगण की ओर से स्टेशन मेमो (प्रदर्श–A/1), आवेदन (प्रदर्श–A/2), एफ आई आर (प्रदर्श–A/3), मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श–A/4), शव चालान (प्रदर्श–A/5), पुलिस फाइनल रिपोर्ट (प्रदर्श–A/6), मृत्यु प्रमाण पत्र (प्रदर्श–A/7) आश्रित प्रमाण पत्र (प्रदर्श–A/8) एवं आवेदक का आधार कार्ड (प्रदर्श–A/9), की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

7. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में डी आर एम रिपोर्ट की मूल प्रति (सामूहिक रूप से प्रदर्श–R/1) प्रस्तुत की गयी है। उत्तरदाता की ओर से संजय कुमार, प्वाइंट मैन, कुलहड़िया स्टेशन को (आर0डब्लू0 1) के रूप में न्यायाधिकरण के समक्ष परीक्षित कराया गया है।

8. पत्रावली दिनांक 12.01.2026 को बहस हेतु नियत थी। नियत तिथि को याचीगण के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया गया।

दिनांक 12.01.2026 का आदेशपत्र हू–ब–हू (in verbatim) निम्नलिखित है:–

" पत्रावली आज बहस हेतु नियत है। दिनांक 11.09.2025 को प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत पत्रावली बहस हेतु 06.11.2025 को नियत हुई थी। 06.11.2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के कारण पत्रावली 22.12.2025 को बहस हेतु नियत हुई। दिनांक 22.12.2025 को भी याची की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही आज दिनांक 12.01.2026 को याची की ओर से बहस हेतु कोई उपस्थित हैं। इस प्रकार दिनांक 05. 08.2025, 11.09.2025, 22.12.2025 तथा आज दिनांक 12.01.2026 को लगातार 4 तिथियों पर याची या याची के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए हैं। उससे पूर्व 16.07.2025 को याची की

विद्वान अधिवक्ता कुमारी रिंकी सिन्हा को उपस्थित थी। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने अनुरोध किया है कि घटना दिनांक 07.09. 2018 की है तथा यह पत्रावली वर्ष 2019 से विचारण हेतु लंबित है। विपक्षी अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि उनकी बहस सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वाद पर निर्णय किया जाये। अतः प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया जायेगा। तदनुसार पत्रावली निर्णय हेतु आरक्षित किया जाता है।"

विनिश्चय

वाद बिन्दु संख्या 1 एवं 2

दोनों वाद–बिन्दु एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। अतः उनका एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

9. याचीगण ने अपने मूल आवेदन में कथन किया है कि दिनांक 07.09.2018 को मृतका पिंकी कुमारी बिहटा से नई दिल्ली का द्वितीय श्रेणी साधारण टिकट लेकर अपने पिता के साथ ट्रेन नं0 12391 श्रमजीवी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। उक्त ट्रेन में अत्यधिक भीड़ थी जिसके कारण वह ट्रेन के डिब्बे के अन्दर दरवाजा के पास खड़ी थी। यात्रियों की धक्का–मुक्की के कारण कुलहड़िया रेलवे स्टेशन के पास वह ट्रेन से नीचे गिर गई। इस दुर्घटना में आयी चोटों के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। इस दुर्घटना में मृतका का यात्रा टिकट खो गया। इस संबंध में मृतका के पिता निर्मल कुमार सिंह के आवेदन के आधार पर रेल थाना, आरा में यु0डी0 केस सं0 97/18 दिनांक 07.09.2018 दर्ज किया गया।

10. उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया है कि प्रस्तुत मामले में यदि मृतका के पास टिकट होता तो वह टिकट मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करते समय बरामद होता। परन्तु मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में मृतका के पास से टिकट बरामदगी का कोई उल्लेख नहीं है। मृतका सदभावी यात्री नहीं थी। मृतका की मृत्यु अनधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पार करने के क्रम में किसी चलती ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। इसमें रेल प्रशासन की कोई

जिम्मेवारी नहीं है। याचीगण द्वारा सिर्फ मुआवजा प्राप्त करने के लिए मनगढ़न्त तथ्यों पर दावा आवेदन दाखिल किया गया है।

11. रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 (29) में यात्री शब्द को परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत् है:–

धारा 2(29)– "यात्री से किसी विधिमान्य पास या टिकट से यात्रा करनेवाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।"

12. रेल के सद्भावी यात्री के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम रीना देवी, अपील संख्या 4945 ऑफ 2018 निर्णित दिनांक 09.05.2018 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

"mere presence of body on the railway premises will not be conclusive to hold that injured or deceased was a bonafide passenger for which claim for compensation could be maintained. However, mere absence of ticket with such injured or deceased will not negative the claim that he was a bonafide passenger. Initial burden will be on the claimant which can be discharged by filing an affidavit of the relevant facts and burden will be then shift on the Railways and the issue can be decided on the facts shown or the attending circumstances. This will have to be dealt with from case to case on the basis of facts found. The legal position in this regard will stand explained accordingly."

भारत संघ बनाम रीना देवी (सुप्रा) मामले में दिए गए उपरोक्त निर्णय के अनुसार, यह ध्यान देने योग्य है कि रेलवे परिसर में किसी शव की उपस्थिति मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि घायल या मृतक वास्तविक यात्री था, जिसके लिए मुआवज़े का दावा किया जा सकता है। इसे प्रत्येक मामले में परिस्थितियों के अनुरूप देखा जाना चाहिए। प्रत्येक मामले के अपने विशिष्ट तथ्य

और परिस्थितियाँ होती हैं। वादी को वास्तविक यात्री होने और अप्रिय घटना को स्वतंत्र रूप से साबित करना आवश्यक है

अतः यह जिम्मेदारी याचीगण की है कि वह प्रथमतः अपने दावे को सिद्ध करें और इसके लिए वह शपथपत्र के साथ वैध यात्री होने के सम्बन्ध में संगत साक्ष्य प्रस्तुत करें।

13. याचीगण की ओर से मृतका के पिता, निर्मल कुमार सिंह को साक्षी ए0डब्लू0 1 के रूप में न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उसने अपने शपथपत्र की पैरा 2 में यह कथन किया है कि–

" पैरा 2- यह कि दिनांक 07.09.2018 को बिहटा स्टेशन से नई दिल्ली स्टेशन का द्वितीय श्रेणी का वैध रेलवे यात्रा टिकट कटाकर मेरी मृतिका पुत्री पिंकी कुमारी मेरे साथ ट्रेन सं0 12391 अप, श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में बिहटा स्टेशन पर सवार होकर नई दिल्ली जा रही थी।"

उसने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि–

" घटना 07.09.2018 की है। मृतिका पिंकी कुमारी मेरी पुत्री थी। उस समय मै मृतिका के साथ में था। घटना का समय क्या था मुझे याद नहीं है परन्तु लगभग दोपहर था। मैं मृतिका के साथ बिहटा रेलवे स्टेशन पर था। मैं मृतिका के साथ स्टेशन पर थे उसके बाद गाड़ी पर मृतिका के साथ चढ़े। मैं बिहटा से दिल्ली के लिए यात्रा कर रहे थे। मेरे साथ बैग था। श्रमजीवी एक्स० गाड़ी 11.15 बजे आयी थी और यह गाड़ी लगभग 15 मिनट रुकी थी। टिकट मैंने नहीं मेरी पुत्री ने दोनों का टिकट कटवाया था। वह टिकट मैं न्यायालय में दाखिल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि टिकट मृतिका के पास उसके पर्स में था। गाड़ी में बहुत भीड़ थी फिर भी हम चढ़े थे पहले मैं चढ़ा था उसके बाद मेरी पुत्री चढ़ी थी। गाड़ी में मैं गेट के पास खड़ा था क्योंकि अंदर भीड़ थी मेरी पुत्री मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। सामान मेरे पास था। गाड़ी खुलने के 15 मिनट के बाद मेरी पुत्री गिरी थी। **मैंने गिरते हुए नहीं देखा था हल्ला होने पर पता चला था। हल्ला हुआ तो मैंने गाड़ी रूकवाने का प्रयास नहीं किया और चैन पुलिंग भी नहीं किया।** मेरी पुत्री के गाड़ी से गिरने के लगभग 20 मिनट के बाद गाडी आरा स्टेशन पहुंची। मुझे किसी यात्री ने भी नहीं कहा कि गाड़ी रूकवाइयें। घटना स्थल से मेरे घर की दूरी करीब 20 किमी होगा, पैदल जाने में आधा घंटा लग जायेगा। आर पी एफ ने मेरा बयान लिया था जिसपर

मेरा हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूँ। जिसे प्रदर्श R-1/1 पर अंकित है। मेरे सामने पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बना था, पास से कोई सामान नहीं मिला था।

न्यायालय प्रश्नः

जब हमलोग ट्रेन के दरवाजे पर खड़े थे तब हमलोगों का मुंह उस दरवाजे के विपरीत दिशा में था। पुत्री के पीछे भी कुछ लोग खड़े थे।

यह कहना गलत है कि मैं और मेरी पुत्री किसी गाड़ी से यात्रा नहीं कर रहे थे और यह भी कहना गलत है रेलवे ट्रैक के अवैध तरीके से पार करने में किसी गाड़ी के चपेट में आने से यह घटना घटी है। यह भी कहना गलत है कि मैं मुआवजा के वास्ते न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूं।"

प्रतिपरीक्षण में निर्मल कुमार सिंह, ए0डब्लू0 1 ने कथन किया है कि मृतका के पीछे भी कुछ लोग खड़े थे। ऐसी स्थिति में अगर मृतका ट्रेन के दरवाजा से बाहर गिरती तो उसके पीछे वाले यात्री भी गिरता, परन्तु कथित घटना में किसी अन्य यात्री के गिरने का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी स्थिति में, अगर मृतका बाहर की ओर गिरती तो वह किसी अन्य यात्री के उपर गिरती और वह गिरकर ट्रेन के दरवाजा के बाहर नहीं जा पाती। इस प्रकार साक्षी ए0डब्लू0 1 द्वारा बतायी गयी परिस्थिति में मृतका का ट्रेन से नीचे गिरने की संभावना नहीं बनती है। पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों जैसे–स्टेशन मेमो, स्टेशन डायरी आदि से भी मृतका का ट्रेन से गिरने की पुष्टि नहीं होती है।

14. उत्तरदाता की ओर से संजय कुमार, प्वाइंट मैन, कुलहड़िया स्टेशन को साक्षी आर0डब्लू0 1 के रूप में न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उसने अपने शपथपत्र में यह कथन किया है कि–

" 1. यह कि दिनांक 07.09.2018 को मैं समय 06.00 बजे से सांय 14.00 बजे तक गेट सं० 47 / बी पर गेट मैन के रूप में डियूटी पर तैनात था।

2. यह कि मेरे ड्यूटि के दौरान गाड़ी सं0 12391 अप को पास कराने हेतु गेट बंद किया गया था, उसी दौरान जब गाड़ी सं0 12391 समय 11.26 मिनट पर थ्रू पास कर रही थी तो एक लड़की उम्र करीब 25 वर्ष, बंद गेट में गेट के नीचे से निकल कर उत्तर तरफ से दक्षिण की तरफ लाइन / रोड पार कर रही थी।

3. यह कि मेरे द्वारा बहुत चिल्लाने के बाद भी वह नहीं सुनी व उसी दौरान गाड़ी आयी तथा वह लड़की गाड़ी के चपेट में आ गयी तथा गाड़ी से झटका लगने से मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गयी।

4. यह कि मैं इसकी सूचना तुरंत ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर / स्टेशन प्रबंधक कुल्हड़िया को दिया।

5. यह कि मैंने आरपीएफ के जाँच अधिकारी को भी अपना उपरोक्त ब्यान घटना के अगले दिन दिनांक 08.09.2018 को दिया था।

यही मेरा ब्यान है।"

उसने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि–

" मैं वर्तमान में कुल्हड़िया स्टेशन पर प्वाइंट मैन के रूप में तैनात हूं। प्वाइंट मैन का काम गाड़ी आ आवागमन कराना, गाड़ी को झंडी देखना, गाड़ी को संटिग कराना, पास करने वाली गाड़ी को देखना होता है। घटना 07.09.2018 की है। मेरी ड्यूटी 6 बजे सुबह से दोपहर 14 बजे तक गेट संख्या 47 बी गेट मैन के रूप में ड्यूटी थी। **समय 11:25 बजे दिन में गाड़ी 12391 को गेट से थ्रू पास करने का सिग्नल लगा हुआ था, तभी मैंने देखा कि एक गेट के नीचे से एक लड़की रेलवे लाईन क्रॉस कर रही थी मैंने जोर से चिल्लाकर उसे रोकना चाहा, परन्तु वह नहीं रुकी, तभी वह उक्त गाड़ी सं. 12391 की चपेट में आ गयी। उस लड़की की उसी समय मौके पर मृत्यु हो गयी थी। मैंने तभी इस घटना की सूचना स्टेशन प्रबंधक, कुल्हड़िया को दी।**

प्रश्नः क्या गेट पर गाड़ी के आवागमन संबंधी अथवा गेट पर घटना घटित होने के संबंध में विवरण अंकित करने हेतु कोई रजिस्टर रखा जाता है?

उत्तरः जी नहीं, रजिस्टर स्टेशन पर होता है।

प्रश्नः घटना कितने बजे घटित हुई थी तथा आपने सूचना कितने बजे दी थी?

उत्तरः 11:25 बजे दिन में घटना घटित हुई थी और गाड़ी पास होने के बाद मैंने स्टेशन पर सूचना दी थी, सही समय इस समय याद नहीं है।

प्रश्नः क्या आपने घटनास्थल पर गये थे और आपने क्या देखा था?

उत्तरः मैं घटनास्थल पर गया था। लड़की की मृत्यु हो गयी थी बस इतना देखा था, उसकी चोट कहां-कहां पर थी और उसके कितने टुकड़े हुए थे यह नहीं देखा था, चूंकि घटना हुए करीब 7 वर्ष हो गये हैं।

प्रश्न : आपने कितने दूर से लड़की को गेट के नीचे से आते हुए देखा था?

उत्तर: करीब 50 फीट की दूरी से देखा था।

प्रश्न: क्या आपने उसे रोकने का प्रयास किया?

उत्तर: मैंने उसे पकड़कर नहीं रोका था, क्योंकि मैं दूर था, केवल आवाज देकर उसे रोकने का प्रयास किया, क्योंकि थु पास गाड़ी को झंडी दिखा रहा था।

प्रश्न: क्या आपके सामने कोई जी आर पी अथवा आर पी एफ आ गये थे?

उत्तर: पुलिस आयी थी, यह नहीं बता सकता कि आर पी एफ के लोग थे या जी आर पी एफ के लोग आये थे।

प्रश्न: क्या आर पी एफ के लोगों ने इस संबंध में आपसे कोई बयान लिया था?

उत्तर: मेरा बयान लिया था।

साक्षी को डी आर एम रिपोर्ट के साथ संलग्न उसका बयान दिखाया गया, जिसे देखकर साक्षी ने उसपर अपने हस्ताक्षर की पहचान की, परन्तु यह कथन भी किया कि यह बयान उसके हस्तलेख में नहीं है, केवल उसके हस्ताक्षर हैं। यह बयान आर पी एफ वाले ने लिखा था और उसपर मेरे हस्ताक्षर करा लिये थे। इस बयान को मैंने पढ़कर हस्ताक्षर किये थे।

कोर्ट आब्जर्वेशन:

डी आर एम रिपोर्ट के साथ संलग्न साक्षी के बयान पर किसी आर पी एफ के जाँचकर्ता/लेखक का हस्ताक्षर अथवा उसका पृष्ठांकन नहीं है।"

15. स्टेशन डायरी में अंकित है– *11.30 में 47B गेट पर कार्यरत गेटमैन संजय कुमार, ने सूचना दिया कि 2391 up से गेट के पास एक लड़की जिसका उम्र लगभग 25 वर्ष है, कट गई है। इसकी सूचना GRP ARA RPF KUA एवं ... ..., को दिया गया। गेटमैन संजय कुमार के अनुसार यह लड़की रोड पास कर रही थी।*

स्टेशन डायरी में अंकित इस तथ्य की पुष्टि दिनांक 08.09.2018 को संजय कुमार, गेटमैन के आर0पी0एफ0 जांच में दिये गये बयान से भी हो जाती है।

मूल आवेदन में याचीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि मृतका अपने पिता निर्मल कुमार सिंह के साथ श्रमजीवी एक्सप्रेस से बिहटा से दिल्ली की यात्रा कर रही थी।

परन्तु मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में टिकट बरामद होने का कोई उल्लेख नहीं है और न ही न्यायाधिकरण में यात्रा टिकट दाखिल किया गया है। इस प्रकार मृतका के पास यात्रा टिकट होने का कोई प्रमाण नहीं है। इसके विपरीत संजय कुमार, आर0डब्लू0 1, जो घटना का चश्मदीद गवाह है, के साक्ष्य से यह साबित होता है कि मृतका घटनास्थल पर अनधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पार कर रही थी एवं इसी क्रम में वह चलती ट्रेन नं0 12391 श्रमजीवी एक्सप्रेस की चपेट में आने से रन ओवर हो गई एवं उसकी मृत्यु हो गई। उपरोक्त तथ्यों से यह साबित होता है कि मृतका सदभावी यात्री नहीं थी। घटना के उपरांत याची पक्ष द्वारा सोच समझकर (afterthought) निर्मल कुमार सिंह, ए0डब्लू0 1 (मृतक के पिता) को टिकट का गवाह एवं सहयात्री बनाया गया है। मृतक का पिता एवं इस वाद का आवेदक सं0 1 होने के नाते निर्मल कुमार सिंह हितबद्ध साक्षी है, उसका साक्ष्य विश्वसनीय एवं स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण में कथित घटना दिन के समय की बताई गई है। ऐसे में यह संभव है कि किसी अन्य व्यक्ति ने भी कथित घटना घटित होते हुए देखा हो। परन्तु याचीगण की ओर से किसी स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह को न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। साक्षी ए0डब्लू0 1 निर्मल कुमार सिंह, हितबद्ध साक्षी है। दूसरी ओर प्रतिवादी की ओर से संजय कुमार, गेटमैन को आर0डब्लू0 1 के रूप में न्यायाधिकरण में परीक्षित कराया गया है जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है। संजय कुमार, गेटमैन, आर0डब्लू0 1 से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई है। संजय कुमार, गेटमैन का बयान आर0पी0एफ0 जांच में दर्ज किया गया है। संजय कुमार, गेटमैन द्वारा प्रतिपरीक्षण में किया गया कथन एवं आर0पी0एफ0 जांच में दर्ज उसके बयान में समरूपता है। उसके बयान की पुष्टि स्टेशन डायरी एवं स्टेशन मेमो से भी हो जाती है जिसमें मृतका का कटकर मृत्यु होना अंकित है। स्टेशन डायरी एवं स्टेशन मेमो प्रारंभिक दस्तावेजी सबूत है जो रेल अधिनियम, 1989 की धारा 191 के तहत साक्ष्य में ग्राह्य (admissible) है। इससे आर0डब्लू0 1 संजय कुमार द्वारा साक्ष्य में किये गये कथन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। अतः उसका साक्ष्य विश्वसनीय एवं स्वीकार किये जाने योग्य है।

16. रीना देवी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में मृतका के पास घटना के समय वैध यात्रा टिकट था, इस तथ्य को साबित करने का प्रथमदृष्टतया भार याचीगण पर था। परन्तु याचीगण की ओर से ऐसा कोई सुसंगत साक्ष्य साक्ष्य अथवा साक्षी न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि मृतका घटना के समय सदभावी यात्री थी। इस प्रकार याचीगण ने प्रथमदृष्टतया अपने सबूत के भार को डिस्चार्ज नहीं किया है। अतः मृतका का सदभावी यात्री होना सिद्ध नहीं होता है।

17. पत्रावली पर उपलब्ध स्टेशन मेमो दिनांक 07.09.2018 में उल्लेख है कि–

"कुल्हड़िया स्टेशन मास्टर के सूचनानुसार एक लड़की उम्र लगभग 25 वर्ष 12391 से कटकर मर गयी है। KM 562/13-14 LC 47B के नजदीक है। लाइन बाधित नहीं है। कृपया उचित कार्रवाई करें।"

18. पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में,

कॉलम 9 में मृत्यु का कारण– *गवाहों के बताए अनुसार मृतका की मृत्यु किसी चलती ट्रेन से गिरने से कटने के कारण मृत्यु होना प्रतीत होता है,* अंकित है।

इस रिपोर्ट में यात्रा टिकट पाये जाने का उल्लेख नहीं है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में मृतक के शव पर या उसके निकट सिर्फ *"काला रंग का सलवार शुट, पीला एवं गुलाबी फुलदार रंग का काला रंग का दुपटा"* पाये जाने का उल्लेख है। इन परिस्थितियों में विपक्षी रेलवे के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को बल मिलता है कि अनधिकृत रूप से रेलवे लाईन पार करने के क्रम में मृतका किसी चलती ट्रेन के चपेट में आकर रन ओवर हो गई है।

19. वैधानिक डी0आर0एम0 रिपोर्ट के साथ संलग्न आरपीएफ जांच रिपोर्ट में गाड़ी संख्या 12391 अप में कार्यरत चालक का का बयान दर्ज है। गाड़ी संख्या 12391 अप में कार्यरत चालक ने अपने बयान में बताया गया है कि- **"दिनांक 07.09.2018 को मैं गाड़ी संख्या 12391 अप मे राजगीर से डीडीयू तक लोको चालक के रूप में तैनात था। मेरी ड्यूटी के दौरान जब**

मेरी गाड़ी कुल्हडिया स्टेशन थ्रु पास कर रही थी और मेरे द्वारा लगातार हॉर्न बजाया जा रहा था, उसी समय मैंने देखा कि कुल्हड़िया स्टेशन से सटे पश्चिम समपार फाटक जो कि बन्द अवस्था में था, एक लड़की उतर तरफ से (सहायक चालक के तरफ से) गेट के नीचे से निकली, जिसपर मेरी नजर क्षणिक रूप से पड़ी इतने में गाड़ी का इंजन गेट को पार कर गया। इसके बाद क्या हुआ, इस संबंध मे मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरी गाडी 110 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार में थी, जिसके कारण इसके बाद क्या हुआ मै या सहायक चालक नहीं देख सके।"

इससे उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन को बल मिलता है कि मृतका की मृत्यु अनधिकृत रूप से रेलवे लाइन पार करने के क्रम में उक्त ट्रेन की चपेट में आने से हुई है।

20. याचीगण द्वारा मूल आवेदन के साथ अथवा बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल नही किया है, परन्तु प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये डी आर एम रिपोर्ट के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति संलग्न है, जो सत्यापित नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिनांक 07.09.2018 में निम्नलिखित अंकित है:-

Compound # of Lt. thigh ... wound 10"x8"xbone deep,
on Lt. elbow 6"x5"x bone deep. Compound # Rt wrist bruise ... Abd 6"x6" and multiple bruise ...
Time elapsed since death -6 to 24 hrs of PM exam.
Cause of death is due to haemorrhage and shcok leading to death caused by HHBS like train accident.

21. विपक्षी द्वारा प्रस्तुत डी आर एम रिपोर्ट के निष्कर्ष में यह उल्लेख है कि-

जांच में पाये गये साक्ष्यों, गवाहों के बयान तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मृतिका पिंकी कुमारी उम्र करीब 22 वर्ष पे० निर्मल कुमार सिंह उर्फ मदन सिंह, ग्रा०- जलपुरा, था०- चांदी, जिला- भोजपुर जो किसी ट्रेन से यात्रा नहीं कर रही थी और न ही उसके पास कोई रेल यात्रा टिकट पाया गया। घटित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। मृतिका की मृत्यु अनाधिकृत रूप से घटनास्थल पर ट्रैक पार करने के कम में किसी चलती गाड़ी के चपेट में आने से हुई है, जो रेल अधिनियम की धारा

147 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में रेल प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। घटना रेल अधिनियम की धारा 123 की उप धारा (ग) में परिभाषित अनापेक्षित घटना में वर्णित परिस्थितियों में घटित नहीं हुई है।

22. रेल अधिनियम, 1989 की धारा *123 (सी) (2) के अनुसार किसी घटना को "अनपेक्षित घटना" की श्रेणी में आने के लिए तीन महत्वपूर्ण घटक का होना आवश्यक है जो इस प्रकार है–*

(i) मृतक अथवा घायल एक सदभावी यात्री हो,

(ii) दुर्घटनावश किसी ट्रेन से गिर गया हो,

(iii) किसी यात्री ले जाने वाली (पैसेंजर) रेलगाड़ी से गिरा हो।

प्रस्तुत मामले में मृतका का न तो सदभावी यात्री होना सिद्ध हुआ है और न ही दुर्घटनावश किसी पैसेंजर रेलगाड़ी से उसका गिरना साबित हुआ है। इस प्रकार मृतका की मृत्यु रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123 (सी) (2) के अन्तर्गत अनपेक्षित घटना की परिधि में नहीं आती है।

23. यह निर्विवाद है कि रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124–ए का उद्देश्य किसी अप्रिय घटना में घायल यात्री या मृतक के आश्रित को शीघ्र राहत प्रदान करना है। यद्यपि अधिनियम में मुआवजे के भुगतान से संबंधित प्रावधान को एक लाभकारी कानून का अंश कहा जा सकता है, परन्तु इसे किसी ऐसे व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए बहुत दूर तक नहीं जाया जा सकता जो साफ हाथों से नहीं आया हो। निश्चित रूप से यह प्रावधान घायल व्यक्ति या मृतक के आश्रितों के लिए लाभकारी कानून के रूप में अधिनियमित किया गया है जो कानून का पालन करने वाला नागरिक है। यह न्यायाधिकरण उन घायलों या मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है जो रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124–ए के तहत लाभ के हकदार हैं। इसके साथ ही, गलत दावों से सरकारी खजाने की सुरक्षा करना भी न्यायाधिकरण का कर्तव्य है।

24. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि–व्यवस्था के आलोक में, यह तथ्य याचीगण के

साक्ष्य से तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से साबित नहीं होता कि मृतका किसी ट्रेन का सदभावी यात्री थी एवं मृतका की मृत्यु किसी ट्रेन से गिर जाने के कारण आयी चोटों से हुई हो। कथित घटना रेल अधिनियम, 1989 की धारा–123 (सी) (2) सपठित धारा 124–ए के अर्न्तगत परिभाषित अनपेक्षित घटना की परिधि में नहीं आती है। तदनुसार वाद बिन्दु संख्या 1 एवं 2 नकारात्मक रूप से याचीगण के विरूद्ध विनिश्चित किये जाते हैं।

वाद बिन्दु संख्या 3 एवं 4

25. वाद बिन्दु 1 एवं 2 की विवेचना के प्रकाश में याचीगण कोई प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः वाद बिन्दु 3 एवं 4 पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है।

आदेश

26. याचीगण निर्मल कुमार सिंह एवं अन्य की याचिका खारिज की जाती है। उभय पक्षकार अपना अपना वाद–व्यय स्वयं वहन करेंगे।

27. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाय। उभयपक्ष को निर्णय की प्रति स्पीड पोस्ट से भेजी जाय। तत्पश्चात समस्त औपचारिकता पूरी होने के पश्चात पत्रावली को दाखिल दफ्तर किया जाय।

(शिव कुमार प्रसाद)
सदस्य (तकनीकी)
दिनांक 19.01.2026

(राम बाबू शर्मा)
सदस्य (न्यायिक)
दिनांक 19.01.2026

निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

(शिव कुमार प्रसाद)
सदस्य (तकनीकी)
दिनांक 19.01.2026

(राम बाबू शर्मा)
सदस्य (न्यायिक)
दिनांक 19.01.2026